122

संख्याः 77 /XVIII(II)/2012–1(51)/2011

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 26 सितम्बर, 2012

विषयः–श्री मानव सेवा समिति, 160 सिंघान स्ट्रीट, काशीपुर, उधमसिंहनगर द्वारा वृद्ध आश्रम का निर्माण किए जाने हेतु ग्राम दभोरा मुस्तकम में खसरा सं0–225/1 एवं 4.2010 है0 मध्ये 0.405 है0 (1.00 एकड़) भूमि दान में प्राप्त किए जाने की अनुमति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2476/सात–स0भू0अ0/2011 दि0–30.11.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, श्री मानव सेवा समिति, 160 सिंघान स्ट्रीट, काशीपुर, उधमसिंहनगर द्वारा वृद्ध आश्रम का निर्माण किए जाने हेतु ग्राम दभोरा मुस्तकम में खसरा सं0–225/1 एवं 4.2010 है0 मध्ये 0.405 है0 (1.00 एकड़) भूमि दान में प्राप्त किए जाने की अनुमति, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति के क्रम में एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 154(2) एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की संगत धाराओं के अन्तर्गत आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित खाता एवं खसरा संख्या के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के साथ प्रदान करते हैंः–

1– दानगृहिता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि प्राप्त करने के लिये अर्ह होगा।

2– दानगृहिता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– दानगृहिता द्वारा अर्जित भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के दान विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (वृद्ध आश्रम की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगा।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि अंतरण से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

.....2

6– इस संबंध में सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 123 के अंतर्गत अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित दाननामा रजिस्ट्रीकृत करा लिया जाएगा।

7– शासन द्वारा दी गई अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

8– प्रस्तावित भूमि का उपयोग संस्था द्वारा वृद्ध आश्रम की स्थापना हेतु ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्यों हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

9– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।

10– भूमि का अंतरण अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में अंतरण किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

11– नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

12– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

13– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को भी यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0सं0–77/समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4– अध्यक्ष, श्री मानव सेवा समिति, काशीपुर (पंजी), 160, सिंघान स्ट्रीट, काशीपुर–244713, उधमसिंहनगर।
5– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।